संख्या– 5599/1–10–2008–12(73)/2008 टी0सी0–4

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2008

विषयः वर्ष 2008–09 में बाढ/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, सिंचाई अनुभाग–2 के पत्र संख्या–295बी/08–27–सिं–2–137बाढ़/08 दिनांक 26 नवम्बर, 2008 के क्रम में जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र संख्या 596/आपदा लिपिक–2008 दिनांक 03 दिसम्बर, 2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008–09 में बाढ/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन की रू0 1.00 करोड़ से अधिक की "मलौनी बांध के क्षतिग्रस्त स्लोप एवं काउन्टर वर्म, कटाव निरोधक कार्य के पुनर्स्थापना का कार्य" परियोजना हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन **धनराशि रू0 7,83,54,000/–(रूपये सात करोड़ तिरासी लाख चौवन हजार मात्र)** आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. मलौनी बांध के क्षतिग्रस्त स्लोप एवं काउन्टर वर्म, कटाव निरोधक कार्य के पुनर्स्थापना का कार्य हेतु धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि प्रमुख

सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन निम्नांकित शर्तो की पूर्ति होने पर जिलाधिकारी, गोरखपुर को धनराशि अवमुक्त करने के आदेश जारी करेंगे :-

(1) कार्यो का निष्पादन विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) मिट्टी की मात्रा की गणना का कोई समुचित आधार नही दिया गया है। अतः तकनीकी स्वीकृत हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्राक्कलन मात्राओं का आंगणन 100-100 मीटर की दूरी पर लिये गये कास सेक्शन के आधार पर किया जाय। इन कास सेक्शन की सम्पूर्ण रीच को आच्छादित करते हुये 20 प्रतिशत चेकिंग सहायक अभियन्ता द्वारा तथा 10 प्रतिशत चेकिंग अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जाय। सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता दोनों की चेकिंग एक स्थल पर न होकर भिन्न-भिन्न स्थलों पर होगी तथा चेकिंग का प्रमाण-पत्र प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाय।

(3) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अ0शा0पत्रांक 7833/मुअगो/आपदा बाढ़ दिनांक 01.10.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार परीक्षण एवं वांछित कार्यवाही पूर्ण कर अधीक्षण अभियन्ता प्राक्कलन प्रेषित करेंगे।

4. आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2008 में **बाढ/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से** आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स की मद संख्या-18 के अधीन क्षतिग्रस्त अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी के सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की **तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले** मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यो पर धनराशि आवश्यकता का निर्धारण करते हुए विभागीय मानको एवं लोक निर्माण विभाग के **शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी।** कार्य की सतत् निगरानी/गुणवत्ता हेतु **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स भी गठित करेगें,** जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी **अनिवार्य रूप से** किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि **उक्त निरीक्षण आख्या तथा जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध कराया जाय।**

5. बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आंगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य जो आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत **रू0 20.00 लाख से अधिक न हों, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय राहत समिति** गठित की गयी है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत **रू0 20.00 लाख से अधिक, परन्तु रू0 1.00 करोड़ से अनधिक हो तो, कार्य के अनुमोदन हेतु मंडल स्तरीय राहत समिति** को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मंडलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न जनपदों के लिये जारी **शासनादेश संख्या 3665/1-10-2008-12(73)/2008, दिनांक 29 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या 4236/1-10-2008-12(73)/2008, दिनांक 10 सितम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 4370/1-10-2008-12(73)/2008- टीसी-3 दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या 4674/1-10-2008-12(73)/2008, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 द्वारा वर्ष 2008-09 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का सम्बन्धित जनपद द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।** रू0 1.00 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की स्वीकृत उपरान्त ही विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6. **आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि व्यय किया जायेगा।** क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोशन हेतु धनराशि कोषागार नियम -27 से कदापि आहरित न की जाय। तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं हेतु प्रथम किस्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि तत्काल अवमुक्त कर दी जाय। मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स के सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाय। **आपदा राहत निधि की धनराशि से नये निर्माण कार्य कदापि न कराये जाय।**

7. तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं को खण्डों मे कदापि विभाजित नही किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाली विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा। जिला स्तरीय आपदा राहत समिति, मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां एवं स्वीकृत परियोजनाओं का विस्तृत आगणन जिसमें क्षति का कारण, लागत, परियोजना की मरम्मत का औचित्य इत्यादि की पूर्ण सूचना शासन को **अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

8. मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नही हुई हो।

10. बाढ़ के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में 150 मि0मी0 वर्षा 24 घन्टे के अन्दर रिकार्ड की गयी हो, तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स में बादल फटने (cloud burst) की घटना मानते हुए दैवी आपदा माना जायेगा और तदनुसार शासनादेश संख्या–4253/1–10–2008–14(75)/08, दिनांक 12 सितम्बर, 2008 के प्राविधान लागू होंगे। शासनादेश संख्या–4708/1–10–2008–14(75)/08, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। बादल फटने (cloud burst) की घटना से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन का प्रस्ताव अब शासन में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।

11. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि बादल फटने (cloud burst) से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं के कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृत किये जायं, जो अनुमन्य श्रेणी में आते हैं। बाढ़ तथा बादल फटने (cloud burst) की घटना के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्य आपदा राहत निधि से अनुमन्य नहीं होंगे।

12. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा मण्डल स्तरीय एवं जिला आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले

लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

13. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि से **बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से** क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की **तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले** मरम्मत / रेस्टोरेशन कार्यों को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम बी तथा अन्य सम्बन्धित वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग–10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

15. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तब्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

16. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693 / 1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की **05 तारीख तक** उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें **दिनांक 10 जनवरी, 2009 तक** शासन को समर्पित कर दिया जाय।

17. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

18. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

19. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या – 5599 (1)/1–10–2008–12(73)/2008 टी0सी0–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश गोरखपुर।
6. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव